| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | **वाद सं0–66 / 2023** | |
| 11.01.2024 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सुप्रीति कुजुर, ग्राम–बरांगो, प्रखण्ड–कर्रा, जिला–खूँटी Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित।<br><br>जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी सुनवाई में उपस्थित है। जबकि शिकायतकर्त्ता दूरभाष से सुनवाई में उपस्थित रहें। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में दो इन्ट्री दर्ज है जबकि शिकायतकर्त्ता का कहना है कि उनके बैंक एकांउट में राशि क्रेडिट नहीं हुई है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने शिकायतकर्त्ता को ये निर्देश दिया है कि वो अपना दोनों पास बुक लेकर कार्यालय आ जाय। तत्पश्चात् जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अगली सुनवाई से पूर्व अपने दोनों पास बुक लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के पास उपस्थित हो जायें और यदि उनके शिकायत का समाधान नहीं होता है तो अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है।<br><br>मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें।<br><br>**(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>**(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>G:\Rachana jsfc\Court order.docx21<br>पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002<br>email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267 | |